LL.B. 1st Sem. Paper-2 Constitutional Law of India-

Question 1. भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक विवेचना कीजिए।

Answer . किसी भी संविधान को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है–

1. एकात्मक (Unitary) **2.** संघात्मक (Federal).

एकात्मक संविधान में सभी शक्तियॉ एक ही सरकार (केन्द्रीय सरकार) में निहित होती है जबकि संघात्मक संविधान के अन्तर्गत शासन की शक्तियों का विभाजन केन्द तथा राज्य सरकारों के मध्य होता है। कुछ महत्वपूर्ण मामलों को छोडकर अन्य मामलों में राज्य सरकारें स्वतन्त्र घटक के रूप में कार्य करती हैं।

भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान् उसे एकात्मक मानते हैं तो कुछ भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान मानते हैं। भारतीय संविधान एक अलौकिक प्रपत्र है जिसमें एकात्मक या संघात्मक दोनों संविधानों के लक्षण विद्यमान हैं।

एस0 आर0 बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए0 आई0 आर0 1994 सु0 को0 1918 के मामले में सु0 को0 ने भारतीय संविधान को अर्द्ध–संघात्मक एवं एकात्मक दोनों प्रकार के संविधानों के तत्व विद्यामान है।

भारतीय संविधान का एकात्मक स्वरूप– एकात्मक संविधान वह है जिसमें शासन की सभी सत्ता एक केन्द्र में केन्द्रित होती है। राज्यों को कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता। भारतीय संविधान के अवलोकन से कुछ प्रावधान ऐसे मिलते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ क्षेत्रों में केन्द्र को आत्यन्तिक अधिकार प्राप्त है। इन क्षेत्रों में राज्यों को केन्द्र के अधिकारों के अधीन अपने को समर्पित करना होता है।

ये उपबन्ध निम्न हैं–

1. राज्य की नियुक्ति –(Appointment of Governer)
2. राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति–
3. नये राज्यों के निर्माण एवम् वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलने की शक्ति –
4. आपात उपबन्ध – (Emergency provisions)

भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप

(Federal Character of India Constitution)

भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के निम्न गुण विद्यमान हैं–

(1) लिखित संविधान– संघात्मक संविधान का प्रमुख गुण यह है कि यह लिखित होता है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग एवम् 10 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है।

(2) शक्तियों का विभाजन –

(3) संविधान की सर्वोच्चता–

(4) न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा सर्वोच्चता –

(5) संविधान की परिवर्तनशीलता–

सारांश– भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है परन्तु आपात काल में यह एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी आवश्यक गुण विद्यमान हैं। अतः भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक संविधान है। वास्तव में भारतीय संविधान की रचना भारत सरकार अधिनियम,1935 को आधार मानकर की गई थी जिसमें संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया था।

Question 2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Answer . भारतीय संविधान के मूलभूत तत्व या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ– स्वतंत्र भारत का संविधान देश की एक अमूल्य निधि है। यह न केवल एक पवित्र दस्तावेज है अपितु सम्पूर्ण देशवासियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पुंज है। यह अपने आप में कई नवीनताओं को ग्रहण किए हुए है। अतः भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं–

(1.) **विश्व का विशालतम संविधान (Bulkiest constitution of the world)-** भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने विश्व का विशालतम संविधान कहा है।

इसमें विश्व के लगभग सभी संविधानों का मिश्रण है। इसमें सभी राष्ट्रों के संविधान के अनुभवों का लाभ उठाने का प्रयास किया गया है। इसमें अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली, आयरलैण्ड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त तथा जर्मन संविधान से आपात उपबन्धों को सम्मिलित किया गया ळें

(2.) **प्रभुत्वसम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना–** भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत के लोगों ने स्वयं को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया है। भारत में एक निर्वाचन आयोग है जिसका उत्तरदायित्व समय–समय पर चुनाव कराकर देश को लोकतांत्रिक सरकार प्रदान करना है चाहे यह सरकार केन्द्रीय हो या राज्य सरकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल मत प्रदान करने का अधिकार है। मतदाता सूची को चुनाव आयोग तैयार करता है जिसका समय–समय पर संशोधन तथा पुनर्निरीक्षण होता है। देश के प्रत्येक उस नागरिक को अपना प्रतिनिधि स्वतंत्रतापूर्वक चुनने का अधिकार है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तथा जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया हो।

(3.) **संसदीय सरकार–** भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई है। चुंकि स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश का शासन ब्रिटेन द्वारा चलाया जाता था जहॉ संसदीय शासन प्रणाली सदियों से सदियों से स्थापित है। अतः ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था अपनाना समीचीन था। क्यों कि हम इसी शासन प्रणाली के अभ्यस्त थे। संसदीय शायन प्रणाली में राष्ट्रपति प्रतीकात्मक अध्यक्ष होता है जो अपने मंत्रिमण्डल की सलाह के अनुसार कार्य करता है।

(4.) **मूल अधिकार या मौलिक अधिकार –** प्रायः सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संविधानों मे राष्ट्र के सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रतिभूत है। ये अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए अपरिहार्य हैं।

(5.) **राज्य के नीति निदेशक तत्व –** भारतीय संविधान का भाग–4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से सम्बन्धित है। इसमें कुछ ऐसे निदेश है जिन्हें पूरा करने की राज्य से अपेक्षा रखी जाती है।

(6.) **नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा मिश्रण–** अन्य संघात्मक संविधानों की प्रमुख विशेषता परिवर्तनशीलता के अनुरूप भारतीय संविधान भी परिवर्तनशील है। संविधान संशोधन के संसद के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया जा सकता है।

(7.) **केन्द्रोन्मुखता–** मजबूत केंन्द्र भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यद्यिप विधायी मामलों का केन्द्रीय सूची तथा राज्य सूची के रूप में बॅटवारा कर केन्द्र तथा राज्य के विधायी अधिकार को सीमित किया गया है।

Question 3. भारत संविधान में प्रस्तावना का महत्व है, समझाइये।

Answer . प्रत्येक अधिनियम के प्रारम्भ में सामान्यतया एक प्रस्तावना या उददेशिका होती है। इस उददेशिका में अधिनियम को पारित करने का आशय तथा अधिनियम के माध्यम से माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले उददेश्य का उल्लेख रहता है।

जैसा कि न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने कहा है–" प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शो तथा आंकाक्षाओं का उल्लेख करती है। " प्रस्तावना अधिनियम के उददेश्यों तथा नीतियों को समझने में सहायक होती है। **इन री बेरूबारी यूनियन, ए0 आई0 आर0 1960 सु0 को0 845 नामक** वाद में उच्चतम न्यायालय ने सही कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है।

संविधान का स्त्रोत– भारतीय संविधान का स्त्रोत भारत के लोग है। भारत की जनता ने अपनी संप्रभु आकांक्षा को इस संविधान के माध्यम से अभिव्यक्त किया है।

संविधान का उददेश्य– संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संविधान का उददेश्य भारत को प्रभूतासम्पन्न, समाजवादी तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था।

प्रस्तावना का महत्व– किसी अधिनियम की प्रस्तावना को इस अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय ध्यान में रखना होता है कि अधिनियम किस उददेश्य को ध्यान में रखकर पारित किया गया है।

एस0 आर0 बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए0 आई0 आर0 (1994) सु0 को0 1918

प्रस्तावना या उददेशिका में संशोधन किया जा सकता है– केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, ए0 आई0 आर0 1973 सु0 को0 1461 नामक वाद में सरकार की ओर यह तर्क दिया गया कि चूँकि प्रस्तावना संविधान का आवश्यक अंग है।

सन् 1976 में भारतीय संसद द्वारा किए गए 42वें संविधान संशोधन से यह स्पष्ट है कि संविधान की प्रस्तावना या उददेशिका संविधान का आवश्यक अंग है तथा उसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार संविधान के अन्य अनुच्छेदों में ।

Question 4. भारतीय संविधान के अनु012 के अन्तर्गत राज्य शब्द की परिभाषा दीजिए। कौन सी चीजें राज्य है और कौन सी नहीं निर्णीतवादों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

Answer .भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ मूल (मौलिक) अधिकार प्रदान किए है। ये संविधान के भाग–3 में अन्तर्निहित हैं । ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सम्यक् बौद्धिक तथा व्यक्तिगत विकास के लिए अपरिहार्य है।

(1) भारत सरकार तथा भारत की संसद
(2) राज्य सरकार तथा राज्य की विधान सभाएँ
(3) स्थानीय प्राधिकारी
(4) अन्य प्राधिकारी

1. **भारत सरकार तथा भारत की संसद** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत दी गई परिभाषा में भारत सरकार तथा भारतीय संसद को सम्मिलित किया गया है अर्थात् मूल अधिकार भारत की सरकार तथा भारतीय संसद के विरूद्ध उपलब्ध है।
2. **राज्य सरकार तथा विधान मण्डल** – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य सरकारों तथा राज्य विधान मण्डल को राज्य की परिभाषा में सम्मिलित करती है।

   स्थानीय प्राधिकारी– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में स्थानीय प्राधिकारी शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया है। सिर्फ इस बात का उल्लेख है कि राज्य में स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित है। **मुहम्मद यासीन बनाम टाउन एरिया कमेटी ए0 आई0 आर0 1952**
3. **अन्य प्राधिकारी** – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य में स्थानीय प्राधिकारी के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को सम्मिलित करती है। अन्य प्राधिकारी शब्दावली को अनुच्छेद 12 में परिभाषित नहीं किया गया है। **विधुत् परिषद राजस्थान बनाम मदन लाल ए0 आई0 आर0 1967**

   परमात्मा शरन बनाम मुख्य न्यायाधीश ए0 आई0 आर0 1964

उपरोक्त मामले में यह निर्धारण करने के लिए कि कोई निगम राज्य की परिभाषा में आता है या नहीं तथा वह निगम सरकारी अभिकरण है या नहीं उसे निम्न कसौटियॉ पूरी करनी होंगी–

1. निगम या निकाय का स्त्रोत क्या है? इसका सृजन कैसे हुआ है? निगम की सम्पूर्ण पूॅजी राज्य धारित किए है या नहीं?
2. क्या निगम की कार्य प्रकृति सार्वजनिक महत्व की है तथा निगम अभिन्न रूप से राज्य से सम्बन्धित है।
3. क्या कोई राजकीय विभाग निगम को हस्तान्तरित किया गया है?
4. क्या राज्य का निकाय या निगम पर व्यापक नियंत्रण है?
5. क्या निगम को एकाधिकार की स्थिति प्राप्त है जो राज्य प्रदत्त तथा राज्य संरक्षित है।

Question 5. समता के अधिकार से क्या समझते है? विवेचना कीजिए।

Answer . भारतवासियों को स्वतन्त्र भारत में भारतीय संविधान के अन्तर्गत मूल अधेकारों को प्रदान किया गया। संविधान के भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इन मूल अधिकारों का वृहद् रूप में उल्लेख किया गया है । संविधान के अध्याय 3 को भारत का अधिकार– पत्र भी कहा जाता है।

भारत में भी गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, ए0 आई0 बार0 1967 एस0 सी0 1643 के मामले में न्यायाधिपति सुब्बाराव ने इन अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार माना है।

न्यायमूर्ति पी0 एन0 भगवती के शब्दों में, "स्वतन्त्रा का संघर्ष ही इन मूल अधिकारों का उद्गम है। इन्हें संविधान में इस आशा और प्रत्याशा के साथ सम्मिलित किया गया कि एक दिन सच्ची स्वाधीनता का वृक्ष भारत में विकसित होगा।"

न्यायमूर्ति बेग के अनुसार– मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो स्वयं संविधान में समाविष्ट हैं। इन अधिकारों को संविधान में समाविष्ट किये जाने का मुख्य उददेश्य उन मूल्यों का संरक्षण करना है जो एक स्वतन्त्र समाज के लिये अपरिहार्य है। ए0 के0 गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, ए0 आई0 आर0 1950 एस0 सी0 27 के मामले में यह कहा गया है कि संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट करने का एक कारण यह भी है कि विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त होने पर भी सरकार इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

एम0 नागराज बनाम भारत संघ, ए0 आई0 आर0 2007 एस0 सी0 71 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों के महत्व के विषय में बतलाया है

कि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के द्वारा दान नहीं है। भाग 3 मूल अधिकार प्रदान नहीं करता है वरन् इस बात की पुष्टि करता है कि उनका अस्तित्व है और उन्हें सरक्षण प्रदान करता है। किसी संविधान के बिना भी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है केवल इस कारण कि वे मनुष्य वर्ग के सदस्य हैं।

इस प्रकार कुल मिलाकर सह कहा जाता है कि मूल अधिकार ऐसे आधारभूत अधिकार है जो व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं । इनके अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास सम्भव नहीं है।

भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में प्रमुख रूप से मुख्य अधिकार–

1. व्यक्तियों को समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)

Question 6. **अनु014 वर्गीकरण की अनुमति देता है तथा वर्ग विधान का निषेध करता है। " इस कथन की व्याख्या कीजिए।**

Answer . भारतीय संविधान के अन्तर्गत मूल अधेकारों को प्रदान किया गया । संविधानों की पराम्परा प्रारम्भ होने के पूर्व इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार कहा जाता था, जिसके माध्यम से शासकों के ऊपर अंकुश रखने का प्रयास किया गया था।

भारत में भी गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, ए0 आई0 बार0 1967 एस0 सी0 1643 के मामले में न्यायाधिपति सुब्बाराव ने इन अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार माना है।

न्यायमूर्ति पी0 एन0 भगवती के शब्दों में, "स्वतन्त्रा का संघर्ष ही इन मूल अधिकारों का उद्‌गम है। इन्हें संविधान में इस आशा और प्रत्याशा के साथ सम्मिलित किया गया कि एक दिन सच्ची स्वाधीनता का वृक्ष भारत में विकसित होगा।"

न्यायमूर्ति बेग के अनुसार– मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो स्वयं संविधान में समाविष्ट हैं। इन अधिकारों को संविधान में समाविष्ट किये जाने का मुख्य उददेश्य उन मूल्यों का संरक्षण करना है जो एक स्वतन्त्र समाज के लिये अपरिहार्य है। ए0 के0 गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, ए0 आई0 आर0 1950 एस0 सी0 27 के मामले में यह कहा गया है कि संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट करने का एक कारण यह भी है कि विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त होने पर भी सरकार इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

एम0 नागराज बनाम भारत संघ, ए0 आई0 आर0 2007 एस0 सी0 71 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों के महत्व के विषय में बतलाया है

कि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के द्वारा दान नहीं है। भाग 3 मूल अधिकार प्रदान नहीं करता है वरन् इस बात की पुष्टि करता है कि उनका अस्तित्व है और उन्हें सरक्षण प्रदान करता है। किसी संविधान के बिना भी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है केवल इस कारण कि वे मनुष्य वर्ग के सदस्य हैं।

इस प्रकार कुल मिलाकर सह कहा जाता है कि मूल अधिकार ऐसे आधारभूत अधिकार है जो व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं । इनके अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास सम्भव नहीं है।

भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में प्रमुख रूप से मुख्य अधिकार–

1. व्यक्तियों को समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
2. नागरिकों की स्वतन्त्रताओं का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
4. धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
5. संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार(अनुच्छेद 29–30)
6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार(अनुच्छेद 32–35)

परन्तु यह अधिकार एक अनन्य अधिकार नहीं है। इन अधिकारों पर लोक हित में निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं। कोई अधिकार मूल अधिकार है या नहीं, इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका किसी विशिष्ट अनुच्छेद में उल्लेख किया गया हो। जैसे– अनुच्छेद 21 में विदेश–भ्रमण, निःशुल्क विधिक सहायता, शीघ्रतर परीक्षण, मानव गरिमा, एकान्तता का अधिकार, आज्ञा का अधिकार आदि मूल अधिकार माने गए हैं।

निम्नलिखित दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बन्धित अथवा निलम्बित किया जा सकता है–

1. प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के सम्बन्ध में (अनुच्छेद 33)
2. जब सेना–विधि लागू हो (अनुच्छेद 34)
3. संविधान में संशोधन द्वारा (अनुच्छेद 368)
4. आपात्– उद्घोषणा के अधीन (अनुच्छेद 352)

<u>Question 7.</u> अनु021 के अन्तर्गत प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतन्त्रता से क्या समझते है। निर्णीयवादों की सहायता से वर्णन कीजिए।

Answer ; प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (right to life and personal liberty) – भारतीय संविधान के अन्तर्गत भारत के नागरिकों के साथ–साथ विदेशियों को भी प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता प्रतिभूत है जिन्हें बिना

उचित प्रकिया द्वारा स्थापित विधि के वंचित नहीं किया जा सकता । इस अनु0 द्वारा दो प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी गई है– 1. प्राण 2. दैहिक स्वतत्रता।

प्राण के अधिकार का अर्थ मानव की गरिमा तथा सभ्यता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है इसके अंतर्गत वह सब शामिल होगा जो किसी मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है।

बोर्ड ऑफ **ट्रस्टी बनाम दिलीप कुमार (1983) 1एस0सी0सी0 124 नामक वाद** में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना सेवा मुक्त कर दिया जाता है तो यह अनु021 का उल्लंघन होगा। **ओलवा तेलिस बनाम बाम्बे म्युनिंसिपल कार्पोरेशन (1985) 3एस0सी0सी0 545 नामक** वाद में याची मुम्बई नगर की सडको की पटरियों पर जीवन यापन करते थे।

प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के व्यापक आयाम नवीन दृष्टिकोण– सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली ए0आई0आर0 1957 सु0 को0 1836 नामक वाद में ए0के0 गोपालन के वाद के निर्णय के प्रतिकूल यह निर्णय दिया गया कि अनु021 में प्रदत्त प्राण तथा दहिक स्वतंत्रता के अधिकार अनु0 19 में प्रदत्त संवैधानिक अधिकार के बिना सम्भव नहीं है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता में विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है तथा बिना विधिक प्रकिया के इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। **मेनका गॉधी बनाम भारत संघ ए0 आई0 आर0 1978 सु0 को 597 नामक वाद** में उक्त निर्णय की गई।

<u>Question 8.</u> वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से क्या समझते है। क्या प्रेस की स्वतन्त्रता वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत आता है। निर्णीतवादों की सहायता से उल्लेख कीजिए।

Answer :- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं इस पर निर्बन्धन की सुसंगतता – भारतीय संविधान का अनु0 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से सम्बंधित है। ये स्वतंत्रताएँ मूल अधिकार का आधार स्तम्भ कहलाती है। **"एन0ए0 पालिकीवाला"** के अनुसार

अर्थात् स्वतंत्रता मानव हृदय में निवास करती है। मनुष्य की हृदय से पूर्व उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अब स्वतन्त्रता की मृत्यु हो जाती है, तब कोई संविधान, विधि अथवा न्यायालय न तो उसे बचा सकता है और न कोई सहायता प्रदान कर सकता है।

भारतीय नागरिकों को अनु0 19 के द्वारा छः स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गयी है। हालॉकि इन स्वतन्त्रताओं की संख्या 1978 से पूर्व सात थी। परन्तु 44 वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनु0 19(च) का लोप कर दिया गया है।

नागरिक– अनु0 19 की स्वतंत्रताएँ केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है। नागरिक शब्द में केवल मनुष्य ही आते हैं, कृत्रिम व्यक्ति जैसे कम्पनी नहीं (टाटा इन्जीनियरिंग कम्पनी बनाम बिहार राज्य AIR 1965 S.C.40)

टनु0 19 में दी गयी स्वतंत्रताएँ पूर्ण नहीं है। इस पर अनु0 19 के खण्ड (2) और (6) के आधार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

अनु019 (1-क) का सम्बन्ध वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से सम्बधिन्त है। यह स्वतंत्रता लोकतन्त्रात्मक शासन–व्यवस्था की आधारशिला है। प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार इस स्वतन्त्रता को महत्व देती है। इसके अभाव में जनता की तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति को, जो प्रजातांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, विकसित करना सम्भव नहीं है (रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, AIR 1950 S.C 240)

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ एवं विभिन्न रूप – वाक् और अभिव्यक्ति से अभिप्राय है – शब्दों, लेखों ,मुद्रणों, चिन्हों आदि के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। इसके अलावा और भी ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनके द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है और ऐसे सब माध्यमों को " वाक् और अभिव्यक्ति के अन्तर्गत माना जाता है। अंक, चिन्ह, संकेत आदि क्रियाएँ भी अभिव्यक्ति में सम्मिलित है– (लावेल बनाम ग्रिफिन, 1938,303 U.S.444)

<u>Question 9.</u> अनु032 के अन्तर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार की विवेचना कीजिए।

Answer :- मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद–32 एक गारण्टी, एवं संक्षिप्त प्रतिकार प्रदान करता है। क्योकि इसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति निचले न्यायालय से उपर के न्यायालय में जाने वाली विलम्बकारी प्रक्रिया को बिना अपनाये जैसा कि उसे अन्य साधारण मुकदमों में करना पडता है, सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की संरचना इस प्रकार मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में की गयी है।

अनुच्छेद 32 स्वयं अपने आप में एक मूल अधिकार है। इसलिये किसी वैकल्पिक प्रतिकार के विद्यमान होने पर भी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद–32 के अन्तर्गत मूल

अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी याचिंका को ग्रहण कर सकता है। जबकि याचिकाकर्ता किसी मूल अधिकार का उल्लघन सिद्ध कर देता है, तब न्यायालय उसके पक्ष में समुचित लेख रिट जारी कर देता है। यदि किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो 32 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

संवैधानिक उपचार के लिए आवेदन– प्रारम्भ में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है परन्तु नये दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी व्यक्ति संस्था लोक हित वाद दायर करके संवैधानिक उपचारों की मांग कर सकता है।

अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी बनाम भारत संघ, ए0आई0 आर0 1981 में श्री कृष्णा अय्यर ने अभिनिर्धारित किया कि अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के लिए आवेदन कर सकती है।

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति, ए0 आई0 आर0 1982 एस0सी0 में भगवती ने कहा कि अधिवक्ता संघ को भी अनुच्छेद–32 के अधीन रिट फाइल करने का अधिकार है।

पीपुल्स यूनियन फार डेमो क्रेठिक राइटस ए0 आई0 आर0 1980 में भगवती ने लोकहित वाद को विधि के शासन का आवश्यक तत्व माना और इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि इससे बादों को बढावा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था " पत्र" के माध्यम से भी रिट फाइल कर सकती है।

<u>Question 10.</u> भारतीय संविधान के अन्तर्गत संस्कृति तथा शिक्षासम्बन्धी अधिकार विवेचना कीजिए।

Answer :- अनुच्छेद 29(1) भारत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का उददेश्य अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करना है। ऐसा वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को अपनी रूचि की संस्थाओं को स्थापित करके ही सुरक्षित रख सकते हैं। यह अधिकार उन्हें अनु0 30(1) द्वारा प्रदान किया गया है, जो अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि के अनुसार शिक्षा–संस्थओं को स्थापित करने और उन पर प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का खण्ड(2) इस अधिकार को और भी सुदृढ बना देता है जिसके अनुसार राज्य शिक्षा– संस्थाओं को सहायता देने में किसी विद्यालय के विरूद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म एवं भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के प्रबन्ध में है। किन्तु यह खण्ड अनु0 29(2) के अधीन है जिसके अनुसार राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्यनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा–संस्था में प्रवेश पाने

से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित न किया जायेगा। अनु030 द्वारा प्रदत्त अधिकार नागरिकों और अनागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। किन्तु अनुच्छेद 29 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिक को ही प्राप्त है।

अनु029(2) और अनु0 15(1) में अन्तर – ध्यान रहे कि अनु015(1) भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म–स्थान के आधार पर विभेद करने का प्रतिषेध करता हैं किन्तु अनुच्छेद 29(2) और अनु015(1) में निम्नलिखित अन्तर है–

1. अनुच्छेद 15(1)केवल राज्य के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है जबकि अनुच्छेद 29 (2) राज्य तथा अन्य संस्थाओं के विरूद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है।
2. अनुच्छेद 15(1) सामान्य रूप से विभेद के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है जबकि अनु029(2) एक विशेष प्रकार के कार्य से संरक्षण प्रदान करता हैं जैसे– शिक्षा–संस्थाओं में प्रवेश के मामले में।
3. अनु015(1) का क्षेत्र विस्तृत है और सभी नागरिकों को लागू होता है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक। अनु0 29(2) नागरिकों के राज्य पोषित या राज्यनिधि से सहायता–प्राप्त शिक्षा–संस्थाओं में प्रवेश पाने के विशेष अधिकार से ही सम्बन्धित है।
4. अनु015(1) लिग और जन्म–स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है, जबकि अनु020(2) में इनमें से किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।

युनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शान्ता बाई

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दिए गए हैं। इन अधिकारों के संरक्षण का अधिकार जैसे भाषाए लिपिए संस्कृति की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों द्वारा दिया गया है। यहां तक कि राज्यों को भी भारतीय संविधान में प्रदान किए गए इन अधिकारों में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने की मनाही है